



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50593

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1005/2026

राम बरन एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: महेन्द्र प्रताप यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रताप यादव, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को निगरानी (रीविजन) संख्या 2625/2019 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20190203002625) (राम बरन एवं अन्य बनाम राज किशोर एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का आदेश और निर्देश प्रदान करे।"

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) की कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निगरानी वर्ष 2019 से राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूखंड वर्ष 2004 में आवंटित किया गया था जिसे उप-जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूखंड के निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 6 वर्ष बाद अवैध तरीके से शुरू की गई है। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व परिषद के समक्ष लंबित निगरानी के त्वरित निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश तालिका की प्रति भी प्रस्तुत की, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि मामला त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार, उपर्युक्त कार्यवाही को इसके तार्किक निष्कर्ष तक यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः 2 महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करें।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

मार्च 12, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"